न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ)

- विज्ञापन -

क्रमांक 132 / दो–11–13 / 2008 कांकेर दिनॉक 31 मार्च 2017

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2017 संध्या 5:00 बजे तक

उत्तर बस्तर कांकेर की कुटुम्ब न्यायालय स्थापना के अंतर्गत कलेक्टर दर पर आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले निम्नांकित कर्मचारियों (चौकीदार,वाटरमेन,स्वीपर फर्राश एवं माली) के कुल 05 रिक्त पदो पर भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक–एफ–1–1 / 2012 / 1–3,दिनांक–10.03.2015 के अनुसार बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासियों (भारतीय नागरिक) से ही निर्धारित प्रपत्र में दिनांक – 20 अप्रैल 2017 शाम 5:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा ।

(1) रिक्त पदो का विवरण एवं योग्यता :–

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	अनारक्षित पद				आरक्षित पद											
							अन्य पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जन जाति			
			मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
कंटीन्जेंट कर्मचारी (आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी)																		
1	कंटीन्जेंट कर्मचारी	05	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	कुल योग	05	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व अनुभव	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा–5 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य एवं सेवा का कार्य (Menial work) करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण–पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

नोटः– अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होना चाहिये।

अन्य शर्तेः–

1– **आयु एवं पात्रताः**–आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिये एवं दिनांक– 01.01.2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परंतु 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग, महिला एवं निशक्तजनों को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी

किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः–

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग हेतु 05 वर्ष

(2) महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष

(3) निःशक्तजनों हेतु 10 वर्ष

(4) स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छूट के अतिरिक्त 05 वर्ष परंतु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो।

2– आवेंदन पत्र के साथ स्वयं का पुरा नाम व पूर्ण पता लिखे हुये दो खुले लिफाफे प्रत्येक पर 5/–रूपये का डाक टिकिट चस्पा करते हुये आवश्यक रूप से संलग्न करें। यदि आवेदक द्वारा टिकिट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जवाबदारी स्वयं की होगी।

3– आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हे अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध विचारित किया जावेगा।

4– आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन कमांक–एफ–13–4/2006/आ.प्र./1–3, दिनांक–29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा,अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जायेगा।

5– मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी,ऐसे आवेदक,जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये विज्ञापन पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित किये जावेंगे,आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं।

6– किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

7– आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

8– एक से अधिक पति/पत्नी न हो अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह होंगे।

9— जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो,जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो,नियुक्ति के लिये अपात्र होगा।

10— वह किसी नैतिक दृष्टता हेतु अपराधी न ठहराया गया हो या किसी न्यायालय/संघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह न किया गया हो।

11— आवेदन पत्र प्राप्त होने के अंतिम तिथी तक विज्ञापित पद हेतु चाही गई योग्यता धारित करता/करती हो।

12— बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे तथा प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं।

13— टंकित अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र प्रारूप अनुसार स्वप्रमाणित समस्त शैक्षणिक तथा जन्मतिथी के प्रमाणपत्र से संबंधित दस्तावेज (यथा—जन्म/आयु प्रमाण पत्र,कक्षा—5 वीं प्रमाण पत्र),जाति, निवास एवं अनुभव प्रमाणपत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद **"आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र"** लिखा हो, न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, उत्तर बस्तर कांकेर को संबोधित करते हुये प्रस्तुत किये जाने चाहिये। उक्त आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथी से आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथी— 20 अप्रैल 2017 को संध्या 5:00 बजे तक डाक/कोरियर अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा किये जा सकते हैं।

14— नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे किसी आवेदन पत्र या समस्त आवेदन पत्रों को छंटाई के दौरान या कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा।

15— किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने के लिये कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

16— साक्षात्कारमें सम्मिलित होने के लिये अवसर उपलब्ध कराने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

17— चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

18— यह विज्ञप्ति बिना कोई कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

19— प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

20— आवेदनों की छटाई के पश्चात् आवेदकों को रोल नंबर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नंबर,नाम,पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची साक्षात्कार की तिथी,समय व स्थान की जानकारी जिला न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर के वेबसाईट http://ecourts. gov.in/kanker तथा kanker.gov.in/district_court पर अपलोड किया जावेगा साथ ही **आवेदकों/ उम्मीदवारों को साक्षात्कार में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र आवेदन पत्र में उनके द्वारा दिये गये पते पर भेजा जावेगा। साक्षात्कार परीक्षण हेतु नियत तिथी पर आवेदक/उम्मीदवार अपने आई.डी.प्रुफ (पहचान पत्र) यथा—ड्रायविंग लाईसेंस/वोटर आई.डी. /आधार कार्ड/बैंक पास बुक/पैन कार्ड/स्मार्ट कार्ड सहित उपस्थित रहें।**

उम्मीदवारों का चयन आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक क्षमता परीक्षण व साक्षात्कार के माध्यम से किया जावेगा।

21— जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं साक्षात्कार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

उपरोक्त शर्तें स्वीकार्य होने पर ही अभ्यर्थी उपरोक्त पद हेतु आवेदन करें। संपूर्ण विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला न्यायालय के वेबसाईट http://ecourts.gov.in/kanker तथा kanker.gov.in/district_court पर उपलब्ध है तथा साक्षात्कार हेतु उपयुक्त,अनुपयुक्त उम्मीदवारों की सूची व साक्षात्कार की तिथी, समय व स्थान की सूचना जिला न्यायालय के वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

31/1/18

अध्यक्ष,
चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय
उत्तर बस्तर (छ0ग0)

आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के पद हेतु

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय,
उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)

पासपोर्ट साईज का फोटो जो कि स्वप्रमाणित हो

1– आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी मे) –

2– आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी के केपीटल लेटर में) –

3– पिता/ पति का पूरा नाम –

4– जन्मतिथि (अ) अको में – – – – – – – (ब) शब्दो में – – – – – – – – – – – – – – – – –

5– आयु (01–01–2017 की स्थिति में) –

6– लिंग (पुरूष/महिला) –

7– क्या आवेदक छत्तीसगढ का मूल निवासी है ; हॉ /नही – – – – – – – – – – – ––

(यदि हॉ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)

8– शैक्षणिक योग्यता (संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें) –

क्र0	कक्षा का नाम	बोर्ड / वि0वि0 का नाम	वर्ष	प्रतिशत
1				
2				

9– अनुभव यदि कोई हो तो– –– –

10– वर्ग जो लागू हो

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग	सामान्य

(स्वप्रमाणित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

11– यदि निशक्त हो तो–निशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत– –

(स्वप्रमाणित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निशक्तता प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

12– क्या आवेदक के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दाण्डिक प्रकरण दर्ज किया गया है अथवा लंबित है–

हॉ/नहीं – – – – – – – – – – –(यदि हां तो स्पष्ट विवरण दें)

13– क्या आवेदक को किसी न्यायालय/शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया है।

हॉ/नहीं – – – – – – – – – – –(यदि हां तो स्पष्ट विवरण दें)

14– क्या आवेदक को किसी न्यायालय/सघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शासकीय सेवा हेतु अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह किया गया है:–

हॉ/नहीं – – – – – – – – – – –(यदि हां तो स्पष्ट विवरण दें)

15– पत्र व्यवहार का पता –

– –

– –

16– स्थायी पता –

– –

– –

17 आयु सीमा में छूट चाहते हो. हॉ/ नही –

यदि चाहते है तो छूट का आधार लिखे (प्रमाणपत्र संलग्न करे)

18– यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि –

19– जीवित बच्चो की संख्या –

कमांक	नाम	लिंग	जन्मतिथि

21– आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे दस्तावेजो का विवरण :–

1– 2–

3– 4–

5– 6–

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणापत्र

मै एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैने विज्ञापित पात्रता शर्तो को ध्यान से पढा है इस प्रपत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण तथा संलग्न सभी अभिलेख मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है तथा आवेदित पद के लिये मै निर्धारित योग्यता रखता/ रखती हूँ । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/अपूर्ण पाई जाती है या यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा तथ्यो को छिपाया गया है तो मेरी उम्मीदवारी/ नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जावेगें।

स्थान आवेदक के हस्ताक्षर

दिनॉक (पूर्ण नाम एवं पता)